

28/3/18

ज्ञात यह पञ्जाबी बाले कादेश प्रार्थना पत्रो हेतु प्रस्तुत है। उक्त पत्रो की वास्तव पर मनन किया एवं पञ्जाबी का अवलोकन किया। प्रकरण मन्तव्य अन्वय निवेद्यात् से सम्बन्धित है, जिसमें अग्रणी। वेल्पोडेन्ट स.। द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपात् में कथित किया गया है कि अपीलार्थ अधिनियम न्यायालय के समक्ष उपास्कीत हो गये हैं एवं उनके द्वारा तब भी प्रस्तुत कर दिया गया है एवं अधिनियम न्यायालय में आगामी पेशी दिनांक 03/4/18 निपट है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थ के समक्ष अधिनियम न्यायालय में आपना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है। अतः इस न्यायालय के क्रम पर प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाकर प्रकरण अधिनियम न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अधिनियम न्यायालय में निपट आगामी पेशी दिनांक 03/4/2018 को उक्त पत्रो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र अन्वय निवेद्यात् का निस्तारण करे। उक्त पत्रो को जस्टिस अधिवक्ता पावन्ड किया जाता है कि वे अधिनियम न्यायालय के समक्ष दिनांक 03/4/18 को उपास्कीत होकर आपना पत्र प्रस्तुत करे। पञ्जाबी में अब कोई कमीवादी शेष नहीं रहने से पञ्जाबी केसल सुमा होकर बाद तकनीक दाखिल स्वतः हो। अदेश सुनया गया।



अधीन प्राधिकारी